

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न क्रमांक-2628

द्वारा- माननीय विधायक श्री हेमंत कटारे

प्रोफार्मा बिन्दु 'क' के संबंध में

थाना काईम ब्रांच ग्वालियर में पंजीबद्ध अपराध की पूर्ण जानकारी।

थाना	अपराध	घटना दिनांक समय	कायमी दिनांक समय	नाम फरियादी	आरोपी का नाम एवं पदनाम	गिरफ्तार आरोपी का नाम एवं पदनाम	गिरफ्तारी के लिए शेष आरोपी का नाम एवं पदनाम (173(8) जा.क्र. के तहत विवेचना)	फायर आरोपी का नाम एवं पदनाम	फायर आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जावेगा
अपराध शाखा ग्वालियर	अप0क0 74/23 घारा 420, 406, 409, 120 वी भादवि बढई धारा 467, 468, 471, 477 (क) भादवि 13 (1) ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018	दिनांक 01.01.19 से 27.07.23 के 00:00 बजे से 00:00 बजे तक	दिनांक 08.04.23 के 18:06 बजे	संजय सिंह सोलंकी कार्यपालन यंत्री पीएचई विभाग	1. हीरालाल (स्थापना प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपड-1 ग्वालियर) 2. राहुल आर्य (प्रायवेट कर्मचारी), अज्ञात	1. संजय सिंह सोलंकी पुत्र राजेन्द्र सिंह सोलंकी (कार्यपालन यंत्री, पीएचई विभाग अपड-1 ग्वालियर) दिनांक 05.11.2023 2. अशोक कछेरिया पुत्र कामता प्रसाद कछेरिया (सेवानिवृत्त कर्मचारी सहायक गेड-2 बाबू) गिरफ्तारी दिनांक 05.11.2023 3. रामनरेश करडैया पुत्र श्री रमेशचन्द्र करडैया (कार्यपालन यंत्री, सेवानिवृत्त) गिरफ्तारी दिनांक 05.11.2023 4. अशोक राज उर्फ हीरालाल पुत्र छक्कीलाल (पंप ऑपरेटर कर्मचारी) गिरफ्तारी दिनांक 16.02.2024 5. राहुल आर्य (प्रायवेट कर्मचारी) गिर0 दिनांक 16.08.2023 6. राहुल वर्मा पुत्र अशोक वर्मा गिरफ्तारी दिनांक 05.11.2023	1. जागेश श्रीवास्तव पुत्र श्री जयनारायण उम्र 61 साल विभाग निवासी लक्कड खाना ग्वालियर (कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), 2. राकेश कुमार राहौरा पुत्र स्व0 श्री फैंली राम उम्र 58 साल निवासी राधिका विहार लक्कड खाना लश्कर ग्वालियर (सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), 3. विनोद कुमार छारी पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल छारी उम्र 57 साल निवासी एन-20 पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर (अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), 4. महेन्द्र कुमार उमरिया पुत्र स्व0 श्री पन्ना लाल उमरिया उम्र 61 साल नि0 रौक्सी पुल छुट्टा की बजरिया ग्वालियर (सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), 5. हरी सिंह तोमर निवासी 66 तानसेन रोड तरुपति मोर्टर्स के पास ग्वालियर।	-	प्रकरण धारा 173(8) दप्रस के तहत विवेचना में है। प्रकरण में आरोपीगणों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा है विवेचना में एकात्रित व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

25/6
AIG of Police
CTD, M.P., BHOPAL